

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 3966-4008

दिनांक : 29/08/2024


--: कार्यालय आदेश :-

मैं दुडाराम खोकर, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह सितम्बर 2024 में पड़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ, जो अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

कोटा मुख्यालय			
क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन (श्री/श्रीमती/सुश्री)	अवकाश तिथि	मोबाईल नंबर
1	अक्षय ताम्बी न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (दक्षिण), कोटा	01.09.2024	9309371600
2	विभा आर्य ए.सी.जे.एम. नंबर - 1 कोटा	08.09.2024	8527560986
3	आकांशा मीणा वि.न्या.मजि. (एन.आई. एक्ट) क्रम-1 कोटा	13.09.2024	9714328238
4	कनिष्का ऋषि न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (दक्षिण), कोटा	14.09.2024	8619390766
5	रिचा शेखावत न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर), कोटा	15.09.2024	9414430303
6	नीलम मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 (दक्षिण), कोटा	16.09.2024	6377759169
7	मिति श्रीवास्तव वि.न्या.मजि. (एन.आई. एक्ट) क्रम-2 कोटा	17.09.2024	9479376601
8	अमित दवे ए.सी.जे.एम. नंबर - 7 कोटा	22.09.2024	9982150521
9	नेहा मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), कोटा	28.09.2024	9828838795
10	कोमल मण्डल वि.न्या.मजि. (एन.आई. एक्ट) क्रम-4 कोटा	29.09.2024	7727091100

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 कोटा (राज.)
 कोटा (राज 0)